न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- मुन्नीराम बागड़िया
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 61/2017

मु. मनेष पत्नी स्व. बलवीर, जाति जाट निवासी राणासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं

— रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 24.02.2017
उनवानी प्रकरण सरकार बनाम मनेष
मु.न. 03/2017, अ. धारा 91 राज. भू. राज. अधि. 1956

उपस्थितिः—

1 .श्री रफीक खान, एडवोकेट —————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 28.03.2018

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 24.02.2017 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम मनेष मु.न. 03/2017 अ.धा. 91 राज. भू. राज. अधि. 1956 न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— अदालत मातहत ने अपीलार्थी को दिनांक 28.08.2017 को गलत तथ्यों एवं बिना किसी पूर्व जांच के गलत आधारो पर नोटिस दिया है अदालत मातहत द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलार्थी पर नहीं हुई है। नोटिस अ.धारा 91 अधिनियम 1956 की धारा के तहत जो दिया गया उस पर तामील कुनिन्दा ने जो रिपोर्ट दी है वह सी.पी.सी. के प्रावधानो के विपरीत है तथा ना ही सशपथ रिपोर्ट की है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी की तामील को मानते हुए गलत रूप से निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट को अदालत मातहत तहसीलदार मलसीसर ने तथाकथित रूप से अतिकमी माना है वह जगह अपीलार्थी के स्वामित्व व अधिकार की रही। अपीलार्थी के पति के जीवनकाल से ही अपीलार्थी

अति. जिला कलक्टर
झुन्झुनू

करीब 30 वर्षो से मकान बनाकर आबाद है। अपीलार्थी के पास वर्तमान में आवास के लिए कोई अन्य भूमि नहीं है। अपीलार्थी एक गरीब महिला है। इस प्रकार अदालत मातहत ने बिना किसी आधारो के तथा मौके की जांच किये बिना ही विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो काबिले निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी के विरूद्ध ग्राम के व्यक्ति द्वारा तथ्य लिखकर शिकायत की थी। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर भी गौर नही कर निर्णय पारित किया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित है कि अपीलार्थी काफी वर्षा से पुख्ता मकानात बनाकर बसा हुआ है। अदालत मातहत ने प्रकरण में पटवारी हल्का से विस्तृत जांच रिपोर्ट नहीं मांगी, पटवारी हल्का ने भूमि खसरा नम्बर 12 में रकबा 0.03 हैक्टर भूमि पर अपीलार्थी को कब्जा पुख्ता मकानात बनाकर आबाद होना लिखा है। अदालत मातहत ने मनमाने तरीके से अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए आलोच्य निर्णय पारित किय है। ग्राम राणासर में मौके पर भूमि खसरा नम्बर 12 के आस–पास आबादी बसी हुई है, वर्तमान में आबादी विस्तार नहीं हुआ है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जगपाल सिहं बनाम पंजाब राज्य को आधार मानकर निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत ने उक्त निर्णय की गलत व्याख्या की है, उक्त निर्णय मे माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकारो को निर्देशित किया है कि ऐसी भूमि जो तालाब की हो तथा ऐसा मार्ग जो जल संचय के काम में आता हो अथवा सार्वजनिक काम में आता हो ऐसी भूमि पर से बेदखल करना चाहिए लेकिन अदालत मातहत ने राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि खसरा नम्बर 12 गै.मु. जोहड़ अंकित होने को आधार मानकर निर्णय पारित किया गया है। भूमि खसरा नम्बर 12 में किसी भी प्रकार का तालाब नहीं है तथा ना ही चारागाह है। अदालत मातहत ने दिनांक 24.10. 2017 को अधिवक्ताओं की हड़ताल होने के बावजूद निर्णय पारित किया। इस प्रकार अदालत मातहत न अपीलार्थी को समूचित व जवाब देही का अवसर न प्रदान करत हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत निर्णय पारित किया है जो काबिले निरस्त है। निर्णय दिनांक 24.10.2017 की जानकारी अपीलर्थी को नहीं थी क्योकि 24.10.2017 को अधिवक्ता की प्रदेशव्यापी हड़ताल थी उस दिन अभिभाषकगण न्यायालय में कार्य नहीं कर रहे थे इसलिए आगामी तारीख पेशी की जानकारी नही हुई। अतः अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के निर्णय दिनांक 24.10.2017 को अपास्त फरमाया जाकर

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

पत्रावली इस के साथ प्रतिप्रेषित की जावे कि अपीलार्थी को समुचित जवाब देही व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं मौके की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को दिनांक 28.08.2017 को गलत तथ्यों एवं बिना किसी पूर्व जांच के गलत आधारो पर नोटिस दिया है अदालत मातहत द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलार्थी पर नहीं हुई है। अपीलान्ट को अदालत मातहत तहसीलदार मलसीसर ने तथाकथित रूप से अतिक्रमी माना है वह जगह अपीलार्थी के स्वामित्व व अधिकार की रही। अपीलार्थी के पति के जीवनकाल से ही अपीलार्थी करीब 30 वर्षो से मकान बनाकर आबाद है। अपीलार्थी के पास वर्तमान में आवास के लिए कोई अन्य भूमि नहीं है। अपीलार्थी एक गरीब महिला है। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर भी गौर नही कर निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित है कि अपीलार्थी काफी वर्षा से पुख्ता मकानात बनाकर बसा हुआ है। अदालत मातहत ने प्रकरण में पटवारी हल्का से विस्तृत जांच रिपोर्ट नहीं मांगी, पटवारी हल्का ने भूमि खसरा नम्बर 12 में रकबा 0.03 हैक्टर भूमि पर अपीलार्थी को कब्जा पुख्ता मकानात बनाकर आबाद होना लिखा है। ग्राम राणासर में मौके पर भूमि खसरा नम्बर 12 के आस–पास आबादी बसी हुई है वर्तमान में आबादी विस्तार नहीं हुआ है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जगपाल सिहं बनाम पंजाब राज्य को आधार मानकर निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत ने उक्त निर्णय की गलत व्याख्या की है उक्त निर्णय मे माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकारो को निर्देशित किया है कि ऐसी भूमि जो तालाब की हो तथा ऐसा मार्ग जो जल संचय के काम में आता हो अथवा सार्वजनिक काम में आता हो ऐसी भूमि पर से बेदखल करना चाहिए लेकिन अदालत मातहत ने राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि खसरा नम्बर 12 गै.मु. जोहड़ अंकित होने को आधार मानकर निर्णय पारित किया गया है। भूमि खसरा नम्बर 12 में किसी भी प्रकार का तालाब नहीं है तथा ना ही चारागाह है। अदालत मातहत ने दिनांक 24.10.2017 को अधिवक्ताओं की

अति. जिला कलक्टर
झुन्झुनू

हड़ताल होने के बावजूद निर्णय पारित किया। नायब तहसीलदार मलसीसर ने कानूने से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है जो,खारिज होने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि गैर मु0 जोहड़ पर अतिक्रमण किये जाने के कारण तहसीलदार मलसीसर द्वारा विधिक प्रकिया के तहत निर्णय पारित कर विधिसम्मत कार्यवाही की गई है । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विद्धान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त भूमि के आसपास आबादी बस चुकी है मौके पर कोई जोहड़ नहीं है ना ही पूर्व में रहा है। अपीलांट अपने पति के जीवनकाल से ही करीब 30 वर्षो से वादग्रस्त भूमि पर मकान बनाकर आबाद है। अपीलार्थी के पास वर्तमान में आवास के लिए कोई अन्य भूमि नहीं है। अपीलार्थी एक गरीब महिला है। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर भी गौर नही कर निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित है कि अपीलार्थी काफी वर्षा से पुख्ता मकानात बनाकर बसा हुआ है। पटवारी हल्का ने भूमि खसरा नम्बर 12 में रकबा 0.03 हैक्टर भूमि पर अपीलार्थी को कब्जा पुख्ता मकानात बनाकर आबाद होना लिखा है। ग्राम राणासर में मौके पर भूमि खसरा नम्बर 12 के आस–पास आबादी बसी हुई है।

मैंने अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर के निर्णय का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार मलसीसर द्वारा पटवारी की रिपोर्ट पर दो लाईन लिखकर अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित कर, निर्णय की इतिश्री की गई है। मौके पर अपीलार्थिया को कितना पुराना कब्जा है, मौके पर जोहड़ की क्या स्थिति है, अपने निर्णय में कोई फाईडिंग नहीं दी। इस प्रकार प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.2.2017 मु0न0 03/2017 उनवानी सरकार बनाम मनेष निरस्त किया जाता है। तथा पत्रावली इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि तहसीलदर मलसीसर वादग्रस्त भूमि का स्वयं मौका एवं पट्टे के संबंध में सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन करते हुये एवं अपीलांट का सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर की मिसल अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एस0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एस0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू